न्यायालय अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मनावर, जिला–धार (म.प्र.)

क्रमांक / 2241 / री.2 / 2020 मनावर, दिनांक 08 मई, 2020

आदेश

कर्फ्यू

(दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत दिनांक 08 मई.2020 से लागू)

प्रति,

तहसील क्षेत्र धरमपुरी (शहरी / ग्रामीण) में रहने वाले समस्त सर्वसाधारण व्यक्ति,

वर्तमान में कोरोना वायरस (COVID-19) को WHO द्वारा महामारी घोषित किया गया है । भारत सरकार एवं म.प्र. शासन द्वारा दिनांक 17.05.2020 तक लॉकडाउन घोषित किया गया है । जिला दण्डाधिकारी महोदय, जिला–धार द्वारा सम्पूर्ण धार जिले में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश क्रमांक 3924–25 / एस.डब्ल्यू. / 2020 धार, दिनांक 14.04.2020 द्वारा जारी किया गया है । इस कार्यालय द्वारा भी दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के अंतर्गत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है, जो वर्तमान में लागू है ।

कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है तथा आसपास के जिलों एवं नगरों में स्थानीय प्रशासन द्वारा कर्फ्यू आदेश भी पारित किए है । चूँकि अनुभाग क्षेत्र मनावर में संक्रमण के नियंत्रण हेतु समुचित उपाय किए गए है तथा प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा निरन्तर क्षेत्र में भ्रमण किया जा रहा है तथा स्वास्थ्य विभाग, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायत तथा पुलिस के अमलें द्वारा भी आवश्यक कार्यवाहियॉं की जाकर, क्षेत्र में निगरानी रखी जा रही है ।

तहसील क्षेत्र में लागू प्रतिबंधात्मक आदेश के बावजूद कतिपय आमजन बाजारों, ग्रामीण क्षेत्रों एवं बाहरी क्षेत्रों में घूम रहे है । चूँकि कोरोना वायरस का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अत्यंत तीव्रता से फैल रहा है तथा अधोहस्ताक्षरकर्ता को यह संज्ञान में आया है कि धरमपुरी में एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है, जिसके निकट सम्पर्क के 55 लोग क्वांरटाईन किए गए है । उक्त पॉजिटिव व्यक्ति का धामनोद के कई चिकित्सकों के सम्पर्क में आने की सूचना भी प्राप्त हुई है तथा चिकित्सकों के सम्पर्क में आने वाले व्यक्तियों की जानकारी भी अधीनस्थ अमलें के माध्यम से एकत्रित की जा रही है ।

उक्त चिकित्सकों के सम्पर्क में आने से तहसील क्षेत्र धरमपुरी के, आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं जानमाल की गंभीर क्षति होने के साथ ही साथ कानून एवं शांति व्यवस्था भंग होने की स्थिति भी निर्मित हो सकती है, जो तहसील क्षेत्र धरमपुरी के मानव जीवन की सुरक्षा के लिए अत्यंत चिंताजनक है । उक्त स्थिति में तहसील क्षेत्र धरमपुरी के, आमजन के स्वास्थ्य, सुरक्षा और आशंकित संकट से बचाव तथा कानून व्यवस्था बनाएं रखने की दृष्टि से अनुभाग क्षेत्र मनावर अंतर्गत तहसील धरमपुरी के आमजनों का घर से निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित किया जाना आवश्यक हो गया है ।

अतः, मैं दिव्या पटेल, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मनावर–धरमपुरी क्षेत्र, जिला–धार (म.प्र.) दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 में निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनुभाग क्षेत्र मनावर अंतर्गत तहसील धरमपुरी में निवासरत् आम नागरिकों की जीवन सुरक्षा को दृष्टिगत् रखते हुए आज दिनांक 08.05.2020 से आगामी आदेश तक तहसील क्षेत्र धरमपुरी के समस्त ग्राम एवं शहर के आमजनों का घरों से बाहर निकलना पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाकर, निम्नानुसार निषेधाज्ञा लागू करती हूँ :–

- तहसील धरमपुरी के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के किसी भी व्यक्ति का घर से निकलना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा, अर्थात् सभी आमजन अपने–अपने घरों के अंदर की रहेंगे ।
- नगर धरमपुरी / धामनोद में किसी भी माध्यम से आने वाले बाहरी लोगों का आगमन निषेध किया जाता है । इसी तरह तहसील क्षेत्र धरमपुरी के निवासरत् नागरिकों का तहसील क्षेत्र धरमपुरी सीमा से बाहर जाना पूर्णतः निषेधित रहेगा ।

...2

Scanned by CamScanner

- सम्पूर्ण तहसील क्षेत्र धरमपुरी (शहरी/ग्रामीण) के सभी शासकीय/अशासकीय कार्यालय, व्यवसाय एवं औद्योगिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे ।
- तहसील क्षेत्र धरमपुरी में परिवहन के सभी साधन जैसे–बस, टैक्सी, ऑटोरिक्शा, ई–रिक्शा, कार, मोटर सायकल, सायकल का संचालन निषिद्ध रहेगा ।
- समस्त निर्माण कार्य तथा समस्त धार्मिक स्थल पूर्णतः बंद रहेंगे ।
- खाद्यान्न एवं किराना सामग्री की होम डिलेवरी भी आगामी आदेश तक पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाता है तथा इस सम्बंधी जारी अनुमति एवं पास निरस्त किए जाते है ।
- सब्जी, फल, दूध आदि की होम डिलेवरी भी पूर्णतः आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेगी तथा इस सम्बंधी जारी अनुमति एवं पास निरस्त किए जाते है ।

चूँकि यह आदेश जनसामान्य की सुरक्षा से सम्बंधित है एवं परिस्थितिजन्य स्थिति में तथा समयाभाव में जनसामान्य को इसकी सूचना दी जाना तथा सुनवाई की जाना संभव नहीं है । अतएव दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 (2) के अंतर्गत यह आदेश एकपक्षीय पारित किया जा रहा है

उपरोक्त आदेश में निम्नांकित व्यक्तियों को छूट, अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी पहचान–पत्र अथवा कर्फ्यू पास होने पर प्रदान की जाती है :–

- कानून व्यवस्था तथा आमजन की सुरक्षा में संलग्न शासकीय कर्त्तव्य में ड्यूटीरत् प्रशासनिक पुलिस, स्वास्थ्य, पेयजल, विद्युत आपूर्ति, अग्निशमन सेवा, दूरसंचार सेवा, उपार्जन कार्य आदि में लगे अधिकारी/कर्मचारी ।
- धरमपुरी/धामनोद नगर में निःशुल्क भोजन वितरण कर रही संस्थाओं के व्यक्तियों, जिनके पास अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी पहचान–पत्र है ।
- इलेक्ट्रानिक प्रिंट, सोशल मीडिया एवं पत्रकार ।
- दवाई, सेनेटाईजर, मॉस्क, चिकित्सा उपकरण आदि के उपयोग में आने वाली कच्ची सामग्री के निर्माण की इकाईयाँ, जिनके पास विधिवत् अनुमति हो ।
- मेडिकल स्टोर, पेट्रोल–पम्प पूर्वानुसार खुले रहेंगे ।
- घरेलू गैस एजेन्सी के हॉकर द्वारा होम डिलेवरी की जावेगी, एजेन्सी एवं गोडाउन पर जाकर, गैस सिलेण्डर लाना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।
- दूध की होम डिलेवरी करने वाले विक्रेता, जिनके पास अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी पहचान–पत्र हो, वे प्रातः 7.00 बजे से 11.00 बजे एवं सायं 5.00 से 7.00 बजे तक दूध वितरण कर सकेंगे ।
- गेहूँ उपार्जन हेतु जिन किसानों को शासन से SMS प्राप्त हुए हैं, उन्हें 02 व्यक्ति मय् टैक्ट्रर–ट्राली के उपार्जन केन्द्र तक आने–जाने की छूट रहेगी ।

कर्फ्यू के दौरान अतिआवश्यक एवं आकस्मिक (मेडिकल) सेवाओं हेतु तहसील स्तरीय कंट्रोल रूम जनपद पंचायत कार्यालय, धरमपुरी, जिला–धार में स्थापित रहेगा, जिसके प्रभारी अधिकारी श्री आर.के. पालनपुरे, (Mob-9425088207) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, धरमपुरी एवं श्री अनुराग जैन (Mob-7987358854) नायब तहसीलदार, धरमपुरी रहेंगे, जो अतिआवश्यक होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता से अनुमति अथवा पास जारी करेंगे । अतिआवश्यक होने पर अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा जारी कर्फ्यू पास ही मान्य होगा ।

यह आदेश आज दिनांक 08.05.2020 से आगामी आदेश तक प्रभावशील रहेगा ।

यह आदेश आज दिनांक 08 मई, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया ।

(दिव्या पटेल)

अनुविभागीय दण्डाधिकारी
मनावर–धरमपुरी क्षेत्र
अनुविभागीय दण्डाधिकारी
मनावर–गंधवानी–धरमपुरी क्षेत्र

Scanned by CamScanner

पृ0क्र0 / 2242 / री.2 / 2020 मनावर, दिनांक 08 मई, 2020

प्रतिलिपि :–

(1) कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी, जिला–धार ।

(2) पुलिस अधीक्षक, जिला–धार ।

(3) अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस), मनावर / धामनोद ।

(4) सहायक संचालक, जनसम्पर्क धार की ओर पर्याप्त प्रचार–प्रसार हेतु।

(5) तहसीलदार / नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, धरमपुरी ।

(6) मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत, धरमुपरी ।

(7) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगर परिषद, धरमपुरी / धामनोद ।

(8) खण्ड चिकित्सा अधिकारी, धरमपुरी / धामनोद की ओर भेजकर लेख है कि संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में आएं व्यक्तियों की सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अधोहस्ताक्षरकर्ता को अवगत् कराते हुए, सम्बंधित का स्वास्थ्य परीक्षण किया जावें तथा उसे तत्काल होम क्वांरटाईन कर समय–समय पर जॉच की जाना सुनिश्चित् करें ।

अनुक्रमांक 05, 06 एवं 07 की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश का अपने अधीनस्थ अमलें के माध्यम से पर्याप्त प्रचार–प्रसार कराया जावें । साथ ही अनुक्रमांक 06 व 07 अपने अधीनस्थ अमलें को शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में सेनेट्राईज कराना सुनिश्चित् करें ।

(9) थाना प्रभारी, पुलिस थाना, धरमपुरी / धामनोद की ओर भेजकर लेख है कि उक्त आदेश का कड़ाई से पालन कराया जावें तथा उल्लंघन करने वालों पर वैधानिक कार्यवाही की जाना सुनिश्चित् करें ।

(10) सर्व साधारण व्यक्ति अनुभाग क्षेत्र मनावर अंतर्गत तहसील धरमपुरी की ओर पालनार्थ ।

Deepti

अनुविभागीय दण्डाधिकारी

अनुविभागीय अधिकारी

मनावर–गंधवानी–धरमपुरी क्षेत्र

Scanned by CamScanner